संख्या-8/2019/213/18-4-2019-14(बजट)/07टी0सी0

प्रेषक,

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग ,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 24अप्रैल,2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना के लिए प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त उद्योग (हस्त0) उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-41/13-हस्त0/बजट/2019-20, दिनांक 9-4-2019 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 57.60 लाख (रू0 सत्तावन लाख साठ हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा ।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

5- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

6- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्डस ऑफ फाईनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

11- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय- व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-04- शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231 /2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-213(1)/18-4-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- कोषाधिकारी, कानपुर ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7-निदेशक स्थानीय निधिलेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in